राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पेट.) संख्या 7541/2024

अमित कुमार दवे पुत्र श्री पृथ्वी राज दवे, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी कीटनोद, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

2. उम्मेदसिंह पुत्र श्री भीखसिंह, निवासी गुड़ा मालानी,जिला. बाड़मेर वर्तमान में वीला, पुरोहित के पीछे छत्रवास, नई ब्रह्मपुरी, जालोर, तहसील और जिला। जालौर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं)की ओर से	:	श्री एस.पी. शर्मा।
प्रतिवादी (ओं)की ओर से	:	श्री श्री राम चौधरी, पी.पी.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

24/10/2024

1. याचिकाकर्ता/आरोपी ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत लंबित आपराधिक मामला संख्या 4985/2014 में 26,40,000/- रुपये की राशि के चेक के अनादर के लिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, जालोर द्वारा पारित दिनांक 11.09.2024 के आदेश को रद्द करने की मांग की है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उनके जमानत बांड जब्त कर लिए हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और उनके जमानतदार के खिलाफ धारा 446 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है।

2. मामले की फाइल और यहां दिए गए आदेश को सुना और पढ़ा।

(27/05/2025 को 03:01:44 PM पर डाउनलोड किया गया)

3. याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के कारण हुई चूक के बारे में न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 10.09.2024 और 11.09.2024 को याचिकाकर्ता को अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करनी थी, जो अचानक बहुत बीमार हो गई थी। इन परिस्थितियों में, उन्होंने अपने अधिवक्ता से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर करके उचित कदम उठाने का अनुरोध किया था। हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस मामले पर कठोर रुख अपनाया, इस धारणा के तहत कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन में बताए गए कारण वास्तविक नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का कार्यवाही में देरी करने का किसी भी स्तर पर कोई इरादा नहीं था और यह इन परिस्थितियों के कारण था, जो उसके नियंत्रण से परे थे, कि वह उस दिन उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि परिवार में उसकी पत्नी की देखभाल करने वाला कोई और नहीं था। याचिकाकर्ता की उपस्थित होने में असमर्थता उसके नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण थी। इसलिए, उनके गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्होंने तर्क दिया।

4. विद्वान पीपी दोनों विद्वान न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का समर्थन इसमें वर्णित कारणों से करेंगे।

5. मोहम्मद हरस बनाम पंजाब राज्य [1] के एक निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जो कि तत्काल संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत है:-

> 6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट को जमानत रद्द करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह के आदेश को पारित करने से पहले, अदालत को आरोपी को नोटिस जारी करना आवश्यक है ताकि उसे यह बताने का अवसर मिले कि जमानत क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में संगरूर के विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने ऐसा तरीका नहीं अपनाया है।

---

[1] सीआरएम-एम संख्या 31385/2023, 07.07.2023 को निर्णय लिया गया

(27/05/2025 को 03:01:44 PM पर डाउनलोड किया गया)

केवल इस आधार पर, जमानत रद्द करने की सीमा तक आरोपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

7. इसके अलावा, जमानत रद्द करना एक गंभीर मामला है और किसी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों को इतने हल्के ढंग से और इस तरह से यांत्रिक तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए जैसा कि इस मामले में है।

8. इस आधार पर, आरोपित आदेश को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहले से प्रस्तुत किए गए जमानत बांड और जमानत बांड पर पहले से ही जमानत आदेश को पुनर्जीवित किया जाता है। याचिकाकर्ता को आज से तीन सप्ताह के भीतर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है और उसे जारी रखना चाहिए। बिना किसी चूक के विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना।"

6. धारा 446 सीआरपीसी के तहत जमानतदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में, यह भी विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा की गई एक गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटि है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इस बिंदु पर भी, वरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य [2] नामक निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देश प्रासंगिक हैं। तत्काल संदर्भ के लिए, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"9. सं हिता की धारा 444 और 446 के वैधानिक प्रावधानों और ऊपर दर्ज टिप्पणियों के आलोक में, मेरा यह मत है कि जमानतदार को मुक्त करने और आवश्यक होने पर बांड जब्त करने तथा जमानतदार पर जुर्माना लगाने के लिए उठाए जाने वाले अन्य कदमों को नियंत्रित करने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया और सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

A. जमानतदार को मुक्त करना

A.1.) जमानतदार किसी भी स्तर पर मुक्त करने की मांग कर सकता है: कोई व्यक्ति जो जमानत पर रिहा किए गए किसी व्यक्ति के लिए जमानतदार है, उसे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है। वह बांड से पूर्ण रूप से मुक्त करने की मांग कर सकता है।

(27/05/2025 को 03:01:44 PM पर डाउनलोड किया गया)

A.2.) अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी का वारंट: जमानतदार से आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय संबंधित व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा, जिसे जमानत पर रिहा

---

[2] पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय: 2023:PHHC:104379

किया गया था, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना है।

A.3) जमानत पर रिहा व्यक्ति की उपस्थिति: एक बार संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या अन्यथा पेश होता है, तो न्यायालय जमानत बांड को खाली करने का निर्देश देगा।

A.4.) नए जमानतदारों की खोज: एक बार न्यायालय द्वारा जमानत के लिए बांड को खाली करने का आदेश दिए जाने के बाद, जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को अन्य पर्याप्त जमानतदार खोजने की आवश्यकता होगी।

A.5.) विफलता के परिणाम: यदि जमानत पर रिहा किया गया व्यक्ति आवश्यकतानुसार अन्य पर्याप्त जमानतदार खोजने में विफल रहता है, तो न्यायालय उसे जेल भेज सकता है।

B. जमानत बांड जब्त करने और जुर्माना लगाने के लिए

B.1 बांड और सबूत की जब्ती:- यदि किसी व्यक्ति की न्यायालय के समक्ष उपस्थिति या संपत्ति के उत्पादन के लिए बांड निष्पादित किया जाता है और न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित हो जाता है कि बांड जब्त कर लिया गया है, तो न्यायालय को ऐसे सबूत के लिए आधार दर्ज करना चाहिए। इसी तरह, यदि किसी अन्य संदर्भ में बांड जब्त किया जाता है, तो अदालत को जब्ती के आधार भी दर्ज करने होंगे।

B.2. नोटिस और जुर्माना:- न्यायालय बांड से बंधे व्यक्ति (जमानतदार) को बांड में निर्दिष्ट जुर्माना भरने या जुर्माना न भरने का कारण बताने के लिए कह सकता है। यदि पर्याप्त कारण नहीं दिखाया जाता है और जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो न्यायालय जुर्माना लगाने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

B.3 विवेकाधीन छूट:- न्यायालय के पास जुर्माने के एक हिस्से को माफ (कम) करने और केवल शेष राशि के लिए भुगतान लागू करने का विवेकाधिकार है, जिसका अर्थ है कि बांड को जब्त करना अपने आप में जुर्माना लगाने के बराबर है और जुर्माना लगाने के लिए एक विशिष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए।

(27/05/2025 को 03:01:44 PM पर डाउनलोड किया गया)

B.4 जुर्माना न चुकाने पर दीवानी कारावास यदि लगाया गया जुर्माना नहीं चुकाया जाता है या वसूल नहीं किया जा सकता है, तो जमानतदार को छह महीने तक की अवधि के लिए दीवानी जेल में कारावास हो सकता है।

B.5. जमानतदार की मृत्यु:- यदि बांड जब्त होने से पहले बांड का जमानतदार मर जाता है, तो उसकी संपत्ति बांड से संबंधित किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाती है।

B.6. साक्ष्य के रूप में दोषसिद्धि का उपयोग:- यदि कोई व्यक्ति जिसने धारा 106 या धारा 11 या धारा 360 के तहत सुरक्षा प्रदान की है, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसके किए जाने से उसके बांड की शर्तों का उल्लंघन होता है या धारा 448 के तहत उसके बांड के बदले में निष्पादित बांड (नाबालिग के लिए) का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को जमानतदार के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध उसी व्यक्ति द्वारा किया गया था, जब तक कि इसके विपरीत साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाते।

7. उपर्युक्त के आलोक में, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता अभियुक्त के जमानत-बंधपत्र जब्त करने तथा उसके जमानतदार के विरुद्ध धारा 446 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने वाला विवादित आदेश अनिवार्य रूप से निरस्त किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है।

8. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में यह पाया है कि पिछली सुनवाई में भी याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने के लिए आवेदन किया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ उसके आवेदन को खारिज करने का आधार था, जिसमें कहा गया था कि उसकी अनुपस्थिति के लिए बताए गए कारण वास्तविक नहीं लगते। हालांकि, मेरा मानना है कि विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां कार्यवाही अर्ध-आपराधिक/सिविल प्रकृति की हो, अभियुक्त की उपस्थिति पर सामान्यतः जोर नहीं दिया जाना चाहिए, यदि किसी विशेष सुनवाई के लिए

(27/05/2025 को 03:01:44 PM पर डाउनलोड किया गया)

आवेदन किया जाता है, जब तक कि ट्रायल कोर्ट को विचाराधीन अभियुक्त की जांच करने की आवश्यकता न हो या मामले में आगे की कार्यवाही के लिए उसका बयान दर्ज न करना हो।

9. अरुण सोलंकी बनाम राज्य [3] मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जो संयोगवश मेरे द्वारा कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में दिया गया था, जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट ने हालांकि उपस्थिति से छूट मांगने वाले आवेदन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ अन्य शर्तों के अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। उक्त आदेश से संबंधित अंश/टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

---

3 राजस्थान उच्च न्यायालय - एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 4880/2024, दिनांक 26.07.2024

> "9. इस प्रकार विद्वान ट्रायल कोर्ट का निर्णय न्यायिक विवेक के दुरुपयोग को दर्शाता है। न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए। इस मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी कठोर शर्तों को उचित ठहराने वाले किसी भी आचरण की अनुपस्थिति विवेक के मनमाने उपयोग को इंगित करती है, जिससे सुधार की आवश्यकता होती है।
>
> 10. लगाई गई शर्तें प्रासंगिक प्रक्रियात्मक कानूनों में उल्लिखित अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दायरे से परे हैं। ट्रायल कोर्ट का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 [बीएनएसएस की धारा 228 के अनुरूप] और 317 [बीएनएसएस की धारा 355 के अनुरूप] के तहत स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, जो परिस्थितियों द्वारा उचित ठहराए जाने पर कठोर शर्तों के बिना व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अनुमति देता है।
>
> 11. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने कहा, इसलिए, याचिकाकर्ता पर लागत लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए थी। लागत लगाना मनमाना प्रतीत होता है,

(27/05/2025 को 03:01:44 PM पर डाउनलोड किया गया)

क्योंकि मामला न तो याचिकाकर्ता के बयान को दर्ज करने के लिए निर्धारित था और न ही याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से मुकदमे में देरी में योगदान दिया, जो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए निर्धारित था। वास्तव में, चूंकि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य निर्धारित दिन पर मौजूद नहीं था, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उक्त गवाह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतीं कि वह न तो अदालत के प्रति कोई अनादर दिखाए और न ही कार्यवाही में कोई देरी करे, और इस प्रकार अपने वकील को कानून के अनुसार व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने के लिए एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया।

12. यह निर्विवाद है कि न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के लिए व्यक्ति को काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, जिससे उसकी आजीविका छिन सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने सही कहा है कि याचिकाकर्ता मुश्किल से अपनी आजीविका कमा पाता है, और न्यायालय में उपस्थित होने का मतलब है अपनी दैनिक मजदूरी खोना, जिसके कारण उसका पूरा परिवार गरीबी और भूख से जूझ रहा है।

13. उपरोक्त बातों को ध्यान में न रखते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लागत लगाने का कोई औचित्य प्रदान किए बिना, छूट आवेदन को स्वीकार कर लिया, लेकिन याचिकाकर्ता के माता-पिता को एक हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता बताई, साथ ही याचिकाकर्ता को हर सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया, चाहे वह आवश्यक हो या नहीं।

14. इस प्रकार, विवादित आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। यह आदेश दिया जाता है।

15. मैं यह कहना चाहूँगा कि विचाराधीन कैदी की उपस्थिति न्यायालय के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वह मुकदमे के दौरान अपने हितों की रक्षा कर सके, और उसकी अनुपस्थिति से उसके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए या निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार को खतरा नहीं होना चाहिए। इस तरह की तर्कहीन शर्तों को कठोर तरीके से लागू करना, तब भी जब अभियुक्त की उपस्थिति की

(27/05/2025 को 03:01:44 PM पर डाउनलोड किया गया)

आवश्यकता न हो, पूरी तरह से अनुचित है। इस प्रकार विचाराधीन कैदी/अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति पर तब जोर नहीं दिया जाना चाहिए जब मुकदमे की प्रगति के लिए यह आवश्यक न हो।

16. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा भविष्य में छूट के लिए दायर किए गए किसी भी आवेदन पर कानून के अनुसार ही विचार किया जाएगा। उसे हर सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ट्रायल कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से आवश्यक न बनाया जाए।

10. परिणामस्वरूप, मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप तथा पूर्वोक्त निर्णयों के आलोक में, दिनांक 11.09.2024 के विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता अभियुक्त के मूल जमानत बांड तथा उसके जमानतदारों के बांड, शिकायतकर्ता को लागत के रूप में 7,500/- रुपए के भुगतान की शर्त पर बहाल किए जाते हैं। कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

11. तदनुसार निपटारा किया जाता है।

12. लंबित आवेदन (आवेदन), यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

103-सुमित/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हां/नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

05/2025 को 03:01:44 PM पर डाउनलोड किया गया)

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(27/05/2025 को 03:01:44 PM पर डाउनलोड किया गया)